मुन्तकिली प्रकरण सं0 71/2019 (RCMS 2019/00121) अनवानी 1 मनोहर लाल पुत्र श्री रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 4 सीसी चानणा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर 2 वेद प्रकाश पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई निवासी चानणा धाम तहसील पदमपुर तथाकथित अध्यक्ष बिश्नोई मंदिर, चानणा धाम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर 3 मनोहरलाल पुत्र श्री हरीराम 4 अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति बिश्नोई निवासी 4 सीसी चानणा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2019

प्रार्थीगण की ओर से श्री तेजा सिंह अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 की ओर से श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष उनके द्वारा एक दावा संख्या 34/2019 अनवानी मनोहर लाल बनाम वेद प्रकाश आदि एवं पत्रावली संख्या 24/2019 अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदि लम्बित है और प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की थी, इस पर न तो अधीनस्थ न्यायालय ने टीआई जारी किया और न ही खारिज किया और लिख दिया कि स्थगन आदेश जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है और तारीख पेशी 24.05.2019 डाल दी। चक 4 सीसी मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की 5 बीघा जमीन प्रार्थी के दादा के नाम चली आ रही थी, पुश्तैनी कब्जा है और सरकार ने ग्रन्थी व पुजारियों की सेवायें समाप्त कर दी थी और उनको धारा 193 आरटीए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये थे। इसलिए 1981 के बाद प्रार्थी स्वतः ही खातेदार हो गया था। इसलिए प्रार्थी ने टीआई की मांग की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कहा कि मेरे उपर अप्रार्थीगण का दबाव है और अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है मुझे तो टीआई खारिज करना है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि दिनांक 24.05.2019 के बाद दिनांक 07.06.2019 तारीख पडी तो अप्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के घर से निकलते देखा, इससे प्रार्थीगण को पक्का विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण ने लोकल विधायक की अप्रोच लगा रखी है और जब प्रार्थी जब गांव गया तो दूसरी पार्टी ने चैलेंज कर दिया कि निर्णय तो हमारे पक्ष में होगा, हमने विधायक से कहलवा दिया है। इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि भूमि मंदिर की है और प्रार्थी को इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी नजायज फायदा उठाने की नियत से जानबूझकर गलत बयानी करके प्रकरण को लम्बित करना चाहते है। राजनैतिक दबाव सम्बन्धी आरोप कभी भी किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, ऐसे आरोप मुकद्दमा मुंतकिली का आधार नहीं बनाते है। अतः प्रार्थी का मुंतकिली प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावे।

मैनें दोनों अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष एक दावा संख्या 34/2019 अनवानी मनोहर लाल बनाम वेद प्रकाश आदि एवं पत्रावली संख्या 24/2019 अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखे है जो उनके समक्ष लम्बित है और उनके दोनों प्रकरण में प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव होने के कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 09.07.2019 में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र मुंतकिल करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर की है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है। हालांकि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर स्थानीय विधायक का राजनैतिक दबाव होने का लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई उचित आधार नहीं बनाता है। फिर भी हम चाहते है कि **प्रार्थी का न्याय प्रणाली में पूर्णतया विश्वास बना रहे इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित होगा।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 34/2019 अनवान मनोहर लाल बनाम वेद प्रकाश आदि व पत्रावली संख्या 24/2019 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश दिये जाते है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी पदमपुर/श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर उक्त मूल प्रकरण को शीघ्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में भिजवावें।** पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर